कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी (म0प्र0)

दूरभाष एवं फैक्स नं 07492-221012 ई मेल dfotshivp@mp.gov.in मोबाइल : 9424794737

क्रमांक/डी.एम./2020/ 1969 शिवपुरी, दिनांक/27/04/2020

प्रति,

परियोजना प्रशासक,
ओर नदी परियोजना प्रबन्ध इकाई
बामौरकलां जिला शिवपुरी (म0प्र0)

विषयः- अशोकनगर एवं शिवपुरी जिले में लोअर ओर बृहद सिंचाई परियोजना (केन वेतवा लिंक परियोजना) के निर्माण हेतु 968.24 हैक्टर वन भूमि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को उपयोग पर देने वावत ।

संदर्भ:- अपर प्रधानमुख्य वन संरक्षक (भू प्रबन्ध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ - 3/50/2014/10-11/15/510 दिनांक 14.02.2019 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / 8-08/2016-एफ सी दिनांक 12.02.2019

—00—

विषयांकित के संबंध में लेख है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / 8-08/2016-एफ सी दिनांक 12.02.2019 01,02,(I to XXXXVII) एवं 03 शर्ते निर्धारित कर शिवपुरी एवं अशोकनगर जिले में लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना परियोजना (केन वेतवा लिंक परियोजना) के निर्माण हेतु 968.24 हैक्टर वन भूमि प्रभावित हो रही है । भारत सरकार के पत्र की छायाप्रति संलग्न है ।

राजस्व भूमि 1043.14 हैक्टर भूमि की वृक्षारोपण एवं आर डी एफ क्षेत्रों की वृक्षारोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक शिवपुरी वृत्त शिवपुरी के पत्र क्रमांक 2354 दिनांक 25.06.2019 एवं पत्र क्रमांक 2353 दिनांक 25.06.2019 से प्राप्त हुई है ।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/ 8-08/2016-एफ सी दिनांक 12.02.2019 की शर्त अनुसार 45,96,07,240 (राशि पैंतालीस करोड छियान्वे लाख सात हजार दो सौ चालीस रूपये मात्र) ई पोर्टल के माध्यम से जमा कराने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / डी एम/ 2019/ 3646 दिनांक 26.06.2019 से आपको लेख किया गया था ,जिसे निरस्त किया जाता है ।

मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी से संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत पुनरीक्षित मांग पत्र अनुसार 45,55,07,389 (राशि पैंतालीस करोड पचपन लाख सात हजार तीन सौ नवासी रूपये मात्र) ई पोर्टल के माध्यम से जमा करावे ।

उक्त राशि मे आस्था मूलक , मानव संसाधन विकास , अनुश्रवण मूल्यांकन तथा पर्यवेक्षण शुल्क आदि की राशि शामिल नही है । यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की राशि अधिरोपित की जाती है तो उस राशि एवं अंतर राशि को आप वन विभाग को देने के लिए बाध्य होगे तथा भविष्य में यदि कोई शर्त अधिरोपित की जाती है तो उसे मान्य करने के लिए बाध्य होगे । इस आशय का भी बचन पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ।

Scanned with CamScanner